भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2969

उत्तर देने की तारीख 17 दिसंबर, 2025 (बुधवार)

26 अग्रहायण, 1947 (शक)

प्रश्न

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवेश

2969. श्री जयन्त बसुमतारीः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार नें देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में रोजगार सृजन और विकास हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) या संगठनों से निवेश आकर्षित करने के लिए कोई कार्रवाई की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कुछ निवेश प्राप्त करने का प्रयास कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है और अधिक निवेशकों को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों/की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए निर्धारित सम्मेलन के प्रमुख सेक्टरों में पर्यटन और आतिथ्य; कृषि-खाद्य प्रसंस्करण और उससे जुड़े क्षेत्र; वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प; स्वास्थ्य-देखभाल; शिक्षा और कौशल विकास; आईटी/आईटीईएस; मनोरंजन और खेल; अवसंरचना और संभारिकी (लॉजिस्टिक्स); और ऊर्जा शामिल थे। कुल मिलाकर, सम्मेलन और इसके प्री इवेंट रोडशो - निजी निवेशकों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और प्रमुख औद्योगिक समूहों से समझौता ज्ञापन (एमओयू), आशय-पत्र और क्वालिफाइड लीड्स के माध्यम से ₹4.48 लाख करोड़ का निवेश लाभ प्राप्त किया। इस निवेश से पूर्वोत्तर क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता बढ़ेगी और रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे। राज्य सरकारें निवेश लाभ के लिए सभी निवेशकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्य सरकारों ने निवेश को सुसाध्य बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सिंगल विंडो

क्लियरेंस, निवेश संवर्धन एजेंसी स्थापित करना, लैंड बैंक का निर्माण, निवेश के लिए प्रोत्साहन आदि शामिल हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक इको-सिस्टम को सुदृढ़ करने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, भारत सरकार उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइज़ेशन (उन्नति) स्कीम लागू कर रही है। उन्नति स्कीम के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रोत्साहन में (i) पूंजी निवेश प्रोत्साहन; (ii) केंद्रीय पूंजी लाभ आर्थिक सहायता प्रोत्साहन; और (iii) विनिर्माण और सेवा संबंधी प्रोत्साहन शामिल हैं ।
